झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)
कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज।
पता—संयुक्त जिला कृषि भवन, फार्म परिसर, बोरियो रोड, साहेबगंज।

आम सूचना

वर्तमान वित्तीय वर्ष **2026-27** में केन्द्र प्रायोजीय योजना **Mission for Aatmanirbharta in Pulses** योजनान्तर्गत उप निदेशक (यो०) —सह— नोडल पदाधिकारी, **Pulses Mission** कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक **1798**, दिनांक **10.04.2026** के द्वारा साहेबगंज जिला में **Mission for Aatmanirbharta in Pulses** एवं **NFSNM-Nutri Cereal** योजनान्तर्गत बीज उत्पादन किया जाना है। प्रमाणित बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की संरचना निम्नवत निर्धारित है :—

क्र०	योजना का नाम	फसल	बीज उत्पादन (क्वि० में)	बीज उत्पादन पर अनुमन्य अनुदान / क्विंटल (राशि)	राशि (लाख में)	बीज उत्पादन का रकबा (हे० में)
1	Mission for Aatmanirbharta in Pulses	अरहर	40	4500	1.80000	4.00
2		उरद	20	3000	0.60000	2.50
3		मूंग	10	3000	0.30000	1.50
4		चना	220	1800	3.96000	22.00
5		मसूर	90	3000	2.70000	11.25
6	NFSNM- Nutri Cereal	रागी	28	3000	0.85100	4.00

1. बीज **05** वर्ष से कम पुरानी (किस्मों की अधिसूचना की तिथि से **3** वर्ष की अवधि) अधिसूचित किस्मों की दलहन फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन मानकों के अनुसार प्रदान की जाएगी। उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल, अल्प एवं मध्यम अवधि वाली, सहनशील किस्मों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. बीज उत्पादक एजेंसियों (झारखण्ड बीज निगम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा नामित एजेंसियों) जो झारखण्ड राज्य में बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, FPO, बिरसा ग्राम एवं जिले में अवस्थित **SAU (KVK)** अनुदान के लिए पात्र होंगे। इस घटक के अन्तर्गत प्रमाणित बीज उत्पादन से जुड़ी एजेंसियों को उत्पादन प्रणाली का सख्ती से अनुपालन करना होगा। यह कार्य उनके स्थानीय पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से ब्रीडर सीड्स खरीद के दस्तावेज प्रमाण के साथ किया जाएगा।

3. अनुदान की धन राशि कृषि विभाग द्वारा एजेंसियों को बिलों की प्रमाणित प्रति, खरीद प्रमाण पत्र, बीज उत्पादक को भुगतान का प्रमाण और बीज एजेंसी द्वारा उत्पादित प्रमाणित बीज की सत्यापित सूचि या बीज अधिनियम की धारा **09** के तहत जारी बीज उत्पादक वार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी।

4. एजेंसियाँ बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि/अनुदान के लिए तभी पात्र होंगे जब वे बीज उत्पादकों से उत्पादित बीज को न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदेगी। इस संबंध में भुगतान का प्रमाण पत्र कृषि विभाग को प्रदान किया जाएगा।

अतः सूचित करना है कि आधार बीज **(Foundation Seed)** से प्रमाणित बीज **(Certified Seed)** उत्पादन के क्षेत्र में काम करने हेतु इच्छुक **FPO**, बिरसा ग्राम, जिला में अवस्थित **SAU (KVK)** एवं कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु **Sathi Portal** पर निबंधन कराने के लिए सूची कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे। कृषकों की सूची जिला कृषि कार्यालय, साहेबगंज में दैनिक कार्यावधि में सूचना प्रकाशन की तिथि से **07** दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेंगे, ताकि ससमय निबंधन कराते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जा सके। विस्तृत जानकारी के लिए आत्मा, साहेबगंज के वेबसाइट **www.atmasahibganj.in** पर गाईड लाईन उपलब्ध है।

ह0/—

जिला कृषि पदाधिकारी,
साहेबगंज।

E:\#23_Year_2025-26\4_Z\01_Let\13_JA_SAM\01_Let\01_AT_Nirb_In_Pul_&_NF_Nu_Ce\02_(b)_Let